TWENTY RUPEES

27

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू-2381-I-15 /पुनर्विलोकन/2015 डिन्डोरी

गुलाब सिंह पुत्र श्री देवसिंह गौड़
निवासी–ग्राम ग्वारा, थाना–शाहपुर,
तहसील/जिला–डिन्डोरी (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

1. सम्हुआ सिंह पुत्र श्री चौधर सिंह गौड़
2. सम्पत सिंह पुत्र श्री देव सिंह गौड़ (मृत)

निवासीगण–ग्राम–ग्वारा, थाना–शाहपुर,
तहसील/जिला–ग्वालियर

..... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य श्री एम.के.सिंह के प्र. क्र. निगरानी/1193/एक/2001 देव सिंह बनाम सम्हुआ आदेश दिनांक 28-03-2014 जिसकी जानकारी कभी नहीं दी, न हुई नकल प्राप्ति दिनांक 23-07-2015 को पारित

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि, विवादित आराजी पुनर्विलोकनकर्ता के पिता देवी सिंह गौड़ की थी जिसे अनावेदक क्र.1 ने गलत तरह से नामांतरण पंजी में नाम इन्द्राज करा लिया जिसके विरूद्ध फिर एस.डी.ओ. ने फिर देवी सिंह के पक्ष में आदेश पारित करते हुये रिमाण्ड किया फिर रिमाण्ड में भी तहसील न्यायालय एस.डी.ओ. ने फिर पुनर्विलोकनकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया, के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा के यहां अपील पेश की जो पुनर्विलोकन के विरूद्ध आदेश पारित किया, के विरूद्ध पुनर्विलोकनकर्ता ने बोर्ड में निगरानी पेश की जो दिनांक 28-03-2014 को खारिज की, के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र निम्न प्रकार पेश है :-

पुनर्विलोकन के आधार :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2381/I/15 जिला B.स्टेंर/

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.5.16.	आवेदक को पुकार लगाई गई परन्तु कोई उप० नहीं। प्रकरण में आवेदक द्वारा अनेक पेशियों पर अनुप० उप० नहीं एवं [illegible] [illegible] [illegible] है। इस प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि के अभाव के कारण पैरवी के खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	
2/5/16		

[कृ. प. उ.